

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 154/18

दायर दिनांक :- 15.10.2018

अनवान

श्रीमति श्रवणी देवी पत्नि उदाराम मीणा नि. रावतखेडा तह. जहाजपुर
वादी.....

बनाम

1. श्रीमति कैलाशी देवी पत्नि रामकुंवार मीणा नि. रावतखेडा तह. जहाजपुर
2. श्री देवीलाल पिता सांवला मीणा नि. रावतखेडा तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 07.09.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी जारी की गई थी जिसके अनुसार तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया था कि ग्राम रावतखेडा प. ह. रावतखेडा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 793 रकबा 0.08 बीघा में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से का मौके पर हो रखा कब्जानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे, जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर द्वारा जरिये पत्र दिनांक 08.08.2022 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादी भी सहमत है। मेरी विनम्र राय में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी जारी किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-


De
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

ग्राम रावतखेडा प. ह. रावतखेडा तहसील जहाजपुर

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रूपये)
1	श्रवणी देवी पत्नि उदाराम मीणा सा. देह खातेदार	793 में से	0.0323	खादी II	0.24
		कुल किता 1	0.0323		0.24
2.	कैलाशी देवी पत्नि रामकुंवार 2/3 मीणा सा. देह खातेदार, देबीलाल पुत्र सांवला 1/3 मीणा सा. देह खातेदार (रहन एस बी बी जे जहाजपुर)	793 में से	0.0324	खादी II	0.24
		कुल किता 1	0.0324		0.24

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (दामोदर सिंह)
 जहाजपुर अधिकारी,
 जहाजपुर (मीलवाडा)

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीयानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

श्रीमति श्रवणी देवी पत्नि उदाराम मीणा नि. रावतखेडा तह. जहाजपुर
वादी.....

बनाम

1. श्रीमति कैलाशी देवी पत्नि रामकुंवार मीणा नि. रावतखेडा तह. जहाजपुर
2. श्री देबीलाल पिता सांवला मीणा नि. रावतखेडा तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 53, 188 आर. टी. ए.

प्रकरण संख्या :- 154/2018

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-


ग्राम रावतखेडा प. ह. रावतखेडा तहसील जहाजपुर

क.स.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रूपये)
1	श्रवणी देवी पत्नि उदाराम मीणा सा. देह खातेदार	793 में से	0.0323	खादी II	0.24
		कुल किता 1	0.0323		0.24
2.	कैलाशी देवी पत्नि रामकुंवार 2/3 मीणा सा. देह खातेदार, देबीलाल पुत्र सांवला 1/3 मीणा सा. देह खातेदार (रहन एस बी बी जे जहाजपुर)	793 में से	0.0324	खादी II	0.24
		कुल किता 1	0.0324		0.24

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.09.2022

मुहर


(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)